निबंधित

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक...............   दिनांक,..................

5(स0) अपील (श्री दूर्गा ऑटो) –28/2016

प्रेषक,

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री दूर्गा ऑटोमोबाइल्स,
प्रो0–श्री पंकज कुमार,
पुत्र – श्री सत्यनारायण सिंह,
निवास– फ्लैट नं0– 401,
प्रेरणा एपार्टमेंट, नार्थ एस0के0 पुरी,
बोरिंग रोड, पटना।

विषयः– **दायर अपीलवाद सं0–28/2015 ~~की सुनवाई~~ में पारित आदेश के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री दूर्गा ऑटोमोबाइल्स, पटना बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2813   दिनांक 03.07.18

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
3/7/18

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 28/2016

सर्वश्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

23.05.2018

21/6/2018

प्रश्नगत अपील सर्वश्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 2398/डी0 दिनांक 20.05.2016 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थापित है। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा में पत्रांक 2870 दिनांक 31.07.2007 द्वारा 7000 वर्गफीट भूमि सर्विस सेंटर के उद्योग स्थापना हेतु भू-खंड सी0- 28 आवंटित किया गया था। दिनांक 29.10.15 के स्थलीय निरीक्षण में एक छावनी निर्मित एवं परिसर में ग्यारह ट्रैक्टर तथा 08 टैम्पू लगा देखा गया है। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 2398/डी0 दिनांक 20.05.2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सर्वश्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा में पत्रांक 2870 दिनांक 31.07.2007 द्वारा 7000 वर्गफीट भूमि सर्विस सेंटर के उद्योग स्थापना हेतु भू-खंड सी0- 28 आवंटित किया गया था। स्थल पर गैर निबंधित कार्य करने परिसर का आवासीय उपयोग करने पर पत्रांक 4350 दिनांक 22.09.15 के द्वारा नोटिस दिया गया। परन्तु इकाई के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। क्षेत्रीय प्रभारी, पाटलीपुत्रा के द्वारा दिनांक 29.10.15 को प्रतिवेदित किया गया है कि आवंटित भूमि पर एक छावनी निर्मित है। परिसर में ग्यारह ट्रैक्टर एवं आठ टैम्पू लगा हुआ है। परिसर में किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि नहीं देखी गई। परिसर का आवासीय उपयोग भी होते हुए देखा गया। अंत में आदेश ज्ञापांक 2398/डी0 दिनांक 20.05.2016 द्वारा आवंटित भू-खंड को रद्द कर दिया गया।

गत सुनवाई की तिथि 26.04.2017 को पारित आदेश के आलोक में सचिव, बियाडा का पत्रांक 3250/डी0 दिनांक 11.07.17 प्राप्त है जिसका अवलोकन किया । सम्प्रति उभय पक्षों के तर्को को सुनने एवं समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है 'बियाडा' द्वारा सर्वश्री दुर्गा ऑटोमोबाइल्स, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा में पत्रांक 2870 दिनांक 31.07.2007 द्वारा 7000 वर्गफीट भूमि सर्विस सेंटर के उद्योग स्थापना हेतु भू-खंड सी0- 28 आवंटित किया गया था। इकाई द्वारा भूमि आवंटन के लम्बी अवधि के बाद भी उद्योग स्थापना के लिए कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, जबकि बियाडा द्वारा उद्योग स्थापना हेतु समय-समय पर नोटिस निर्गत किया गया है। लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त भी निबंधित उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ नहीं किया जाना भूमि आवंटन आदेश में निहित शर्तों का उल्लंघन है। ऐसा प्रतीत होता है कि

अपीलकर्ता भूमि पर अन्य उद्देश्य के लिए मात्र कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। साक्ष्यों के आलोक में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का कार्यकारी निदेशक द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 2398/डी0 दिनांक 20.05.2016 अनुकूल है।

तद्नुसार प्रश्नगत अपीलीय आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

21/6/2018

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

21/6/2018

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Osd leater 1